परिशिष्ट 'अ'
[20/12/2021]

कार्यालय जनपद पंचायत टीकमगढ़, जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्रश्न सं. [क्र. 78]

/जन.पंचा./प.प्रको./2020/1476 टीकमगढ़, दिनांक :- 01-10-2020

प्रति,

प्रधान/सचिव,
ग्राम पंचायत अनंतपुरा
जनपद पंचायत टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय :- ग्राम पंचायत अनंतपुरा की पुरानी पंचायत भवन की ईमारत को दुकानों के लिए स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/ग्रा.पंचा./2020/1 दिनांक 23.09.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 26.01.2020 में पारित निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत के पुराने पंचायत भवन की बिल्डिंग में गेट निर्मित कर दुकानों का निर्माण करने हेतु आवेदन किया है।

अतः निम्न शर्तों के अधीन पुरानी पंचायत भवन की बिल्डिंग को दुकाने निर्मित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1 पंचायत भवन की बिल्डिंग का ग्राम पंचायत या अन्य शासकीय कार्यों में वर्तमान में कोई उपयोग न होता हो।

2 दुकानों हेतु गेट निर्माण के लिए प्राक्लन अनुसार पंचायत निधि से व्यय किया जाये, अन्य मद से नहीं।

3 दुकानों की नीलामी हेतु विधिवत निविदा आमंत्रित कर 01 से 05 वर्ष के लिए नीलामी की जाये।

4 दुकानों की नीलामी से अर्जित आय विधिवत पंचायत खाते में जमा की जाये।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्रतिशिष्ट-3 ②

...ालय,कार्यपालन यंत्री,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग,टीकमगढ़(म.प्र.)

......./तक./ग्रायासे./2021 टीकमगढ़, दिनांक ....

तकनीकी स्वीकृति आदेश

मध्यप्रदेश शासन पचायत एव ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्र. 7244/22/वि–10/ग्रायांसे./2016 भोपाल दिनांक 09.12.2016 मे प्रदत्त तकनीकी अधिकारो का प्रयोग करते हुये प्राक्कलन में एतद् द्वारा निम्नलिखित कार्य की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति कार्य के सम्मुख दर्शायी गई राशि हेतु निम्न शर्तो के अधीन जारी की जाती है।

क्रं.	कार्य का नाम	स्थान		लागत (लाख में)	तक.स्वी. क्रं./दि.	मद
		ग्रा.पं.	वि.ख.			
1	2	3	4	5	6	7
	ग्रा० पं भवन की दुकान निर्माण	अन्नपुरा	टीकमगढ़	0.80	01 / 01/04/2021	15वा वित्त

शर्ते:–

1. कार्य स्वीकृति उपरांत राशि प्राप्त होने पर कार्य का विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाईन, ड्राईग तैयार करने के उपरांत ही कार्य प्रारभ कराया जावेगा।
2. जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश के उपरात कार्य स्थान एवं प्राक्कलन की प्रावधानित मद मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना पूर्व स्वीकृति के अनुमति नही है।
3. नवीन सामुदायिक कार्य की स्थिति मे स्थल विवाद होने या शासकीय भूमि न होने पर कार्य प्रारभ न किया जावें।
4. जीर्णोद्वार एव मरम्मत कार्यो में यदि उक्त कार्य पर विगत 5 वर्ष मे कोई कार्य कराया गया हो तो कार्य न कराया जावें।
5. मनरेगा प्रावधानों अनुसार कार्य, कार्य योजना में होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जायें एव योजना के प्रावधानों अनुसार 60:40 मजदूरी एवं सामग्री अनुपात सुनिश्चित किया जाकर ही कार्य प्रारंभ किया जावें।
6. ग्राम पंचायत में 5 से अधिक सामुदायिक कार्य प्रगतिरत होने की स्थिति मे पुराने कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही कार्य प्रारभ किया जावें।
7. मरम्मत/जीर्णोद्वार के कार्यो मे सहायक यंत्री स्वयं पूर्व के कार्य के माप माप–पुस्तिका मे सत्यापित कर कार्य प्रारंभ करावें।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग, टीकमगढ

पृ.क्रमांक................/तक./ग्रायांसे/2021 टीकमगढ़, दिनाक............

प्रतिलिपि:--

1. कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. जिला योजना अधिकारी/जिला सयोजक, जिला टीकमगढ की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग, टीकमगढ